|| कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला शिवपुरी, म0प्र0 ||

|| नीलामी / विक्रय की शर्तें ||

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि न्यायिक जिला स्थापना शिवपुरी के अनुपयोगी घोषित शासकीय वाहन क्रमांक MP-02, AV-3012 Mahindra Xylo(2010) का विक्रय खुली नीलामी के माध्यम से किया जाना है।

अतः इस नीलामी / विक्रय की शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति शासकीय वाहन क्रमांक MP-02, AV-3012 Mahindra Xylo(2010) को क्रय करना चाहता है, वह **दिनांक 31.08.2024 को जिला न्यायालय परिसर शिवपुरी** में आयोजित खुली नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी / विक्रय से संबंधित अन्य जानकारी अथवा वाहन का भौतिक अवलोकन जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय शिवपुरी से कार्यालयीन समय में संपर्क कर, किया जा सकता है।

नीलामी / विक्रय की शर्तें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की आधिकारिक बेवसाईट www.mphc.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

नीलामी / विक्रय की शर्तें :–

1. शासकीय वाहन क्रमांक MP-02, AV-3012 Mahindra Xylo(2010) का अपलेखन मूल्य 65,000 / – पेंसठ हजार रूपये निर्धारित है।
2. वाहन को विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से नीलामी दिनांक 31.08.2024 से एक दिन पहले तक देखा जा सकता है। वाहन जिस स्थिति में है, जहां है, उसी स्थिति में नीलाम / विक्रय किया जावेगा।
3. वाहन के परिवहन हेतु किसी भी प्रकार का भाड़ा आदि देय नहीं होगा।
4. नीलामी / विक्रय कार्यवाही में भाग लेने से पूर्व नीलामीकर्ता अधिकारी / कर्मचारी के पास नीलामी राशि की 25% राशि अमानत के रूप में अग्रिम जमा कराना होगी। स्वीकृत बोलीकर्ता द्वारा अमानत के रूप में अग्रिम जमा राशि समायोजित की जा सकेगी एवं असफल बोलीकर्ता की राशि वापस की जावेगी। बोलीकर्ता द्वारा स्वयं का वैधानिक पहचान दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा।
5. बोली स्वीकृति आदेश जारी होने के 07 दिवस के अंदर बोली की संपूर्ण राशि का नियमानुसार चालान शासन हित में जमा कराना होगा अथवा नगद राशि नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय शिवपुरी में जमा कर विक्रयशुदा वाहन स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।
6. बोली अतिंम रूप से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोदय शिवपुरी द्वारा स्वीकृत की जावेगी। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि, वह किसी भी बोली को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार कर दें।

7. वाहन नीलामी के संबंध में, विवाद के संबंध में वाहन नीलामी हेतु गठित नीलामी समिति का निर्णय समस्त बोलीकर्ताओं पर बंधनकारी होगा। वाहन नीलामी हेतु गठित, नीलामी समिति, जिला न्यायालय शिवपुरी को नीलामी/विक्रय की शर्तों में बदलाव, आंशिक निरस्त अथवा पूर्णरूप से निरस्त करने का अधिकार होगा।

8. नीलाम/विक्रय शुदा वाहन का नीलामी में विक्रय किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र नीलामी समिति, जिला न्यायालय शिवपुरी द्वारा जारी किया जावेगा। इस प्रकार का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत वाहन को यथास्थिति में स्वयं के व्यय पर जिला न्यायालय परिसर से ले जाना होगा। विलंब की स्थिति में दैनिक आधार पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी द्वारा निर्धारित स्थल भाटक अदा करना होगा।

9. नीलामी/विक्रय की कार्यवाही में बोली लगाने हेतु भाग लेने वाले बोलीकर्ताओं के संदर्भ में यह माना समझा जावेगा कि, उन्हें नीलामी/विक्रय की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।

10. सफल बोलीकर्ता द्वारा वाहन के नामांतरण, टैक्स जमा करना बीमा कराना आदि समस्त कार्यवाही स्वयं करना होगी जिनका व्यय भार भी स्वयं वहन करना होगा। इस संबंध में कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

11. वाहन प्राप्ति के समय वाहन की वर्तमान नंबर प्लेट नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय शिवपुरी में जमा की जावेगी।

प्रथम जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष
वाहन नीलामी समिति,
जिला न्यायालय शिवपुरी